खबर मन्त्र झारखंड
06 रांची, रविवार, 13 दिसंबर, 2015

कंपनी में सचिविक प्रणाली लागू हो : सीएस मेहता

रांची। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 118 (10) के अंतर्गत किसी भी कंपनी में सचिव समेत समान्य अथवा अन्य बोर्ड का गठन करना है। इस संबंध में इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज आफ इंडिया ने निर्देश जारी कर दिया है। यह बातें इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज आफ इंडिया (आइसीएसआइ) के अध्यक्ष सीएस अतुल एच मेहता ने कही। वे शनिवार को मेन रोड स्थित होटल ट्राइडेंट में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उक्त मानक प्रत्येक कंपनी पर लागू होगा। इसे लेकर निगम से संबंधित मंत्रालय ने भी अपनी सहमति दे दी है, जो एक जुलाई 2015 से लागू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सचिविक प्रक्रिया को मान्यता दी गई है, जो विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है। श्री मेहता ने कहा कि इस अधिनियम को देश की सभी कंपनियों में लागू करना आवश्यक है। सचिविक प्रणाली संपूर्ण संस्था अथवा निगम प्रथा के संचालन में विशेष भूमिका अदा करेगा। यह व्यापक अभ्यास, शेयर होल्डर, अधिकार, व्यापार आदि के प्रशिक्षण व विस्तार में काफी कारगर है। इससे संचालन, निवेशक, समर्थनकर्ता समेत भारत की पूंजी में बढ़ावा मिलेगा।